

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237357
SG-DL-E-19072022-237357असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 190
No. 363]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2022/ ASHADHA 27, 1944	[N. C. T. D. No. 190

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

फा. सं. 61 (1474)/Sele CWC& JJBs/DD(CPU)/DWCD/2021-22/7506-37.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 2 की उप धारा 59 के साथ धारा 4 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को किशोर न्याय बोर्ड में निम्नलिखित नामों को सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नामित करते हैं। वे उक्त अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों व कर्तव्यों का प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों हेतु कार्य करेंगे

क्रम संख्या	किशोर न्याय बोर्ड	नाम पता और संपर्क नम्बर	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
	किशोर न्याय बोर्ड VI, विश्वास नगर, शाहदरा, नई दिल्ली	टिनी कपूर प्लैट नंबर. 88 प्रथम तल डी ब्लॉक कमला नगर गीता भवन के पास, नई दिल्ली. 110007 मोबाइल नम्बर. 9811332400	सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता

		लक्ष्मी रानी प्लॉट नंबर 872 फ्लैट नंबर. 6 गेट नंबर. 8 दयानंद पार्क के पास शालीमार गार्डन एक्सटेंशन.1 साहिबाबाद गाजियाबाद. 201005 मोबाइल नम्बर. 9873692166	सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता

उक्त सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड. VI में अधिसूचना की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम 2016 के अनुसार कार्य करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

गरिमा गुप्ता, सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th July, 2022

F. No. 61(1474)/Sele CWCs & JJBs/DD(CPU)/DWCD/2021-22/7506-37.—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 4 read with sub-section 59 of section 2 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate the following names as Members Social Worker in Juvenile Justice Board. They shall exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on such Boards in relation to the Children in Conflict with Law under the said Act, in the National Capital Territory of Delhi, namely: -

Sl. No.	Juvenile Justice Board	Name, Address and Contact Number	Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
	Juvenile Justice Board-VI, Vishwas Nagar, Shahdra, New Delhi	Tinny Kapoor Flat No. 88 First Floor D Block Kamla Nagar Near Geeta Bhawan, New Delhi-110007 Mobile Number- 9811332400	Member Social Worker
		Laxmi Rani Plot. No. 872 Flat No.6 Gate No. 8 Near Dayanand Park Shalimar Garden Ext-1 Sahibabad Ghaziabad-201005 Mobile No.-9873692166	Member Social Worker

The aforesaid Member Social Workers shall function in Juvenile Justice Board-VI for the period of 3 years from the date of notification and as per the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Model Rules, 2016.

By Order and in the name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

GARIMA GUPTA, Secy.